राजस्थान सरकार
गृह विभाग

क्रमांक प.27(14)गृह–1/2008 जयपुर दिनांक 04-12-2019

परिपत्र

विषय :– सिख अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कडा, कृपाण एवं पगडी आदि धारण कर शामिल होने की अनुमति बाबत्

राज्य सरकार को सिख धर्म के विभिन्न संगठनों द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित कर एवं जनसुनवाई आदि के दौरान शिष्टमण्डल द्वारा मुलाकात कर यह अवगत कराया गया है कि "कुछ समय से राजस्थान में विभिन्न प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सिख धर्म के छात्र छात्राओं एवं प्रतियोगियों को सिख धर्म के चिन्ह् जैसे कड़ा एवं कृपाण आदि पहन कर आने पर परीक्षा हॉल में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। इस कारण से सिख धर्म के बच्चे–बच्चियों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं नौकरी हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवसर पाने से वंचित रह जाते हैं। समाज के लोगों की विशेष रूप से युवा पीढी की धार्मिक भावनाऐं आहत होती हैं और सम्पूर्ण समाज में रोष व्याप्त होता है।

सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार 5 ककार धारित किये जाते हैं जिसमें कड़ा एवं कृपाण भी शामिल है। मर्यादा के अनुरूप इसे हमेशा धारित किया जाना होता है, परन्तु विभिन्न परीक्षाओं में स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है। और अलग–अलग स्थानों पर इसकी व्याख्या लागू करने में विभिन्नता रहती है जिसका खामियाजा सिख समाज के बच्चे–बच्चियों को उठाना पडता है।"

उक्त स्थिति को देखते हुए यह मांग की गयी है कि समस्त परीक्षाओं में सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगडी धारण कर परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जावे ताकि उन्हें समान अवसरों से वंचित नहीं होना पडा और भावनाऐं आहत नहीं हो।

भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार के प्रावधान अनुच्छेद 25 में उपबंधित है। अनुच्छेद 25 में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता–(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो–

(क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बन्धन करती है।

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है।

उक्त प्रावधानों की व्याख्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी सिविल रिट (सी) पिटिशन संख्या 7550/2017 डीएसएनजीसी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2018 में भी की गयी है और निर्देश दिये गये कि सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय पात्रता–सह प्रवेश परीक्षा में सिख अभ्यर्थियों को कड़ा एवं कृपाण धारण कर बैठने हेतु वर्तमान प्रक्रिया के साथ–साथ विशेष प्रक्रिया जिसमें सिख अभ्यर्थी जो कड़ा एवं कृपाण धारण कर बैठना चाहते हैं को कम से कम एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने की व्यवस्था की जावे। यदि स्क्रीनिंग के दौरान कड़ा और कृपाण में कोई सन्देहास्पद उपकरण (Suspect Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने की हिदायत दिये जाने के निर्देश भी दिये गये है।

अतः संविधान में प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में व्याख्या कर दी गयी व्यवस्था के मध्यनजर यह निर्देश दिये जाते हैं कि लोक व्यवस्था (Public Order) को बनाये रखते हुए, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं अन्य विभागों यथा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, महानिदेशक पुलिस आदि द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगडी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जावे। सिख धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर एक घंटा पूर्व रिपोर्ट करने हेतु सामान्य निर्देश जारी किये जा सकते है। यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीको में कोई सन्देहास्पद उपकरण (Suspect Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जावे।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित हो।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री ।
2. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालियक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
8. श्री अजयपाल सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान सिख समाज, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

11/2/2019
शासन सचिव